

बिहार सरकार
गृह विभाग
(कारा)

प्रेषक,

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

काराधीक्षक,
केन्द्रीय कारा, बक्सर।

पटना, दिनांक-14/4/2016

विषय:- विभागीय ज्ञापांक-19 दिनांक-03.04.2016 द्वारा निर्गत आवंटन की निकासी की अधिसीमा निर्धारित करने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग के ज्ञापांक-एम-4-09/2014-2793/वि0, दिनांक-04.04.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय द्वारा आवंटन आदेश संख्या-19 दिनांक-03.04.2016 द्वारा प्रावधानित बजट राशि में से कुट संख्या-21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद के कुल वार्षिक आवंटन का लगभग 90 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है।

2. इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापांक-एम-4-09/2014-2793/वि0, दिनांक-04.04.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-02 में प्रावधानित नियम के आलोक में वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्रावधानित बजट का 33 प्रतिशत राशि माह जुलाई तक व्यय किया जाना है।

3. अतः इस आलोक में निदेश दिया जाता है कि आवंटनादेश संख्या-19, दिनांक-03.04.2016 के द्वारा कुट संख्या-21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि की 36 प्रतिशत राशि ही जुलाई, 2016 तक निकासी की जा सकेगी।

4. निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका- 3 में वर्णित अधिसीमा के अंतर्गत ही राशि की निकासी करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-02 एवं अन्य कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-14/4/2016

ज्ञापांक-कारा/बजट-(उद्योग)-07-07/16.....²³¹⁸

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचंद्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-14/4/2016

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उद्योग)-07-07/16.....²³¹⁸

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,


कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उद्योग)-07-07/16.....²³¹⁸

पटना, दिनांक- 14 / 4 / 2016


प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट-(उद्योग)-07-07/16.....²³¹⁸

पटना, दिनांक- 14 / 4 / 2016

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।



बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभागीय पत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधान है कि सभी प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नांकित प्रकार से राशि का आवंटन किया जाय:-

- (क) पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक बजट से प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत
- (ख) पहली अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का 32% अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65 प्रतिशत तक
- (ग) पहली दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित राशि का 35 प्रतिशत अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शतप्रतिशत।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये योजना एवं गैर योजना मद में सभी व्यय के लिये वित्त विभागीय पत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को निम्न के लिए पूर्णरूपेण शिथिल किया जाता है:-

- (क) केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित राशि
- (ख) 14वें वित्त आयोग से संबंधित राशि
- (ग) पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित राशि
- (घ) ऊर्जा विभाग की उदय योजना

3. विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के अन्य प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। सभी नियंत्री पदाधिकारियों का ध्यान उपर्युक्त पत्र की कंडिका-18, 22, 23 एवं 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है। प्रशासी विभाग द्वारा आवंटन के विरुद्ध वास्तविक व्यय का मासिक अनुश्रवण किया जाय। क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय ताकि विभागीय आँकड़ों और महालेखाकार के आँकड़ों के बीच भिन्नता न हो।

(51)

4. केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में राशि की निकासी भारत सरकार से प्राप्त राशि की अधिसीमा तक बजट उपबंध के अधीन ही की जा सकेगी। राज्यांश पर भी राशि की निकासी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि की सीमा के अधीन होगी।

5. कोषागारों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली CTMIS के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार आवंटन और व्यय की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जा सकती है। सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से CTMIS का उपयोग कर अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवंटन/उपावंटन तथा व्यय की विवरणी प्रत्येक माह निकालकर उसकी समीक्षा करें ताकि सभी को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध हो और जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के पास अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध हो उनसे राशि वापस लेकर अन्य कार्यालयों को दी जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रवि भित्तल)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014...../वि०,

पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014...../वि०,

पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/लोकायुक्त के सचिव, पटना/सचिव, लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014...../वि०,

पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014...../वि०,

पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सभी संबंधित ई-मेल से प्रेषित करने तथा वित्त विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

4/4/16